प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका
जिला चिकित्सालय महिला/पुरुष
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./01/2018–19/ 3505 दिनांक: 05/07/18

विषयः राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 डी से ग्रसित बच्चों का पी.एच.सी./सी.एच.सी./जिला चिकित्सालयों पर निःशुल्क उपचार के संबंध में।

महोदया/महोदय

आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से 19 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों का 4 Ds- Defects at Birth, Deficiency, Disease and Developmental delays leading to disability के दृष्टिगत स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन सुनिश्चित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का लक्ष्यः–

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से 19 बर्ष तक के बच्चों का 4 Ds- Defects at Birth, Deficiency, Disease and Developmental delays leading to disability में चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कर शीघ्र पहचान करना तथा बच्चों को संदर्भित कर उपचार सुनिश्चित कराना।
2. बच्चों को निरोग कर बेहतर जीवन का अवसर प्रदान करना।

कार्यक्रम की रणनीति–

- प्रदेश के राजकीय एवं राज्य सहायतित स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं का वर्ष में एक बार मेडिकल मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश में क्रियाशील आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों का वर्ष में दो बार मेडिकल मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण।
- प्रदेश की चिकित्सा इकाईयों (एल–2 एवं एल–3) पर जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों की पहचान एवं संदर्भन।
- घरेलू प्रसव में जन्में बच्चों का आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान जन्मजात दोषों हेतु स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन।

संदर्भनः–

- प्रत्येक शनिवार को संदर्भित किये गये बच्चों को मेडिकल टीम द्वारा सी.एच.सी. स्तर पर उपचार किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाता है तथा अधिक बीमार बच्चों को जिला स्तरीय चिकित्सालय में आर.बी.एस.के. वाहन द्वारा ले जाकर उपचार कराकर पुनः सी.एच.सी. पर लाया जाता है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिहिन्त हेल्थ कन्डीशन्स जिनमें सर्जिकल इन्टरवेन्सन्श की आवश्यकता होती है उनको डिस्ट्रिक अर्ली इन्टरवेन्शन सेन्टर

(DEIC)/डी0आई0सी0 मेनेजर/जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से टर्शरी लेवल ईकाईयों (मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थान) में संदर्भित कर उपचार उपलब्ध कराया जाना है।

संज्ञान में आया है कि जिला चिकित्सालयों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं से ग्रसित बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं से ग्रसित बच्चे जिनके पास आर.बी.एस.के स्क्रीनिंग कम रेफरल कार्ड है, उन बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क उपचार कराया जाना सुनिश्चि करें।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उ0प्र0

पृष्ठांकनः एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./01/2018–19/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. स्टेट नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के., परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के उ0प्र0।
7. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उ0प्र0 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
8. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक/डी.ई.आई.सी. मैनेजर एन.एच.एम. उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ पत्र की प्रति जनपद के सभी अधिकारियों को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक